



2026: AHC: 47983

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 5143/2026

सुमन देवी याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य प्रतिवादीगण

याची के अधिवक्ता: दीपांकर चौधरी, शिवम सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या-2 अर्थात् उपजिलाधिकारी, तहसील-फरीदपुर, जनपद बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2024 चुनौती के अधीन है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि उक्त आदेश के विरुद्ध, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में निहित तीसरी अनुसूची के अनुसार आयुक्त (कमिश्नर) के समक्ष प्रथम अपील दायर करने का वैधानिक वैकल्पिक उपचार याची के पास उपलब्ध है।
3. तदनुसार, वैधानिक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

10 मार्च, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्वाति

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"